

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण (आर0 ए0 एस0)

प्रकरण संख्या :- 173/2019

निर्णय दिनांक 28-11-19

उनवान

1. श्योराम पुत्र काना जाति माली निवासी कोटखावदा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।
2. रामगोपाल पुत्र भीवाराम जाति मीणा निवासी सवांसा तहसील लालसोट जिला दौसा।

—वादीगण


बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटखावदा।

—प्रतिवादी

प्रार्थना—पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद से करवाने बाबत।


प्रार्थीगण ग्राम कोटखावदा दक्षिण तहसील कोटखावदा के खातेदार काश्तकार है जिसके आराजी खसरा नम्बर 3833/1 रकबा 0.04 है0 में वादी 1 का हिस्सा 363/400 व वादी संख्या 2 का हिस्सा 37/400 कुल किता 1 कुल रकबा 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम कोटखावदा दक्षिण तहसील कोटखावदा में स्थित है जिस भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थया ने निवेदन किया है प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गयी व जवाब सरकार लिया गया तो जवाब सरकार पेश किया गया कि प्रार्थी की भूमि का के आस पास खसरा नम्बरों पर मौके पर फसल खडी है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर वकील प्रार्थी को सुना गया तो प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए प्रार्थीया की भूमि की पत्थरगढी पुलिस इमदाद से कराने हेतु दौराने बहस जाहिर किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

वकील प्रार्थीगण की बहस पर गौर किया व प्रार्थना पत्र एवं जवाब सरकार का अवलोकन किया गया तो यदि आस पास के खसरो में फसल नही हो तो प्रार्थिया की भूमि पर नियमानुसार पत्थर गढी की करवायी कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3833/1 रकबा 0.04 है0 भूमि वाके ग्राम कोटखावदा दक्षिण तहसील कोटखावदा की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण व पडोसी खातेदारों की उपस्थिति में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो व फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे व साथ ही उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
उपखण्ड अधिकारी

(एस0डी0एम0) चाकसू

